न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 66 / 2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मनरूपराम पुत्र स्व. पेमाजी जाति मेघवाल निवासी सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली		1. कमला पत्नि सोहन जाति घांची निवासी सरथूर, तहसील देसूरी, जिला पाली। 2. नेमाराम पुत्र ओटाजी जाति चौधरी, निवासी सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली 3. किशोर पुत्र पुनारामजी जाति घांची निवासी सादड़ी जिला पाली 4. भीमाराम पुत्र जीवाराम जाति चौधरी निवासी सादड़ी तहसील देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री लक्ष्मण के चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.08.2022

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 47 / 2018 बउनवान मनरूपराम बनाम कमला में पारित आदेश दिनांक 28.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व मूल वाद घोषणा व निषेधाज्ञा तथा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सादडी चक 1 तहसील देसूरी में स्थित पुराने खसरा नम्बर 240 मी. व नये खसरा नम्बर 984 रकबा 0.48 हैक्टर है। उपरोक्त वर्णित आराजी अपीलार्थी के द्वारा स्व. लाला जी पुत्र पन्ना जी के पट्टाशुदा एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हकशुदा थी जो ठीकाने के समय लालाजी के मालिकाना हक की चली आ रही है। जिसका पट्टा बापी गांव सादड़ी जोधपुर दरबार रियासत् 04.02.2042 को जारी हो रखा है जो एकमात्र लालाजी के हक अधिकार व स्वामित्व की थी जो 2012 से 2015 की पुरानी जमाबन्दी में स्पष्ट है। लालाजी की मृत्यु के पश्चात् उनके चारों पुत्रों के नाम रेकर्ड में दर्ज हुए लेकिन सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त भूमि में 1/2 वां हिस्से में लालाजी पुत्र पन्ना जी के साथ स्व. जमरूद्दीन, स्व. कासम खां, स्व. उमराव खां पुत्रगण जुवारह खां का नाम दर्ज कर दिया जबकि उनका मौके पर कभी भी भौतिक रूप से कब्जा नहीं रहा तथा वर्तमान में भी रेस्पोडेण्ट का कब्जा नहीं है, उमराव खां के वारिसान् ने अपना हक–हिस्सा तथा सम्पूर्ण आराजी में 11/24 हिस्से को रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को बेचाण कर दिया लेकिन रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट के कब्जे में दखल अन्दाजी कर उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहते है। उक्त विधि विरूद्ध कृत्यसे रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। दोनो पक्षों को बाद सुनवाई अपीलांट का प्रार्थना पत्र केवल मात्र रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध मानते हुए खारिज किया है। जबकि सेटलमेन्ट वालों ने उमराव खां के वारिसान् का या उसके पश्चात् खरीददारान् को अधिकार टाईटल प्राप्त नहीं हो सका था केवल मात्र रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीद करने को आधार मानकर प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता था। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 04 जोर जबरदस्ती अपीलाण्ट को उक्त भूमि के कब्जे से बेदखल करने की र्दुभवाना से गुंडा गर्दी करते है एवं कब्जे में दखल करते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम सबूतो से परे जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील हाजा न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में रेस्पोडेन्टगण अपीलांट को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है, अगर वह ऐसा करने में सफल हो गये तो अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों पैसों में नही आंका जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2019 अपास्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोडेन्टगण को पाबन्द किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकराते हुए निवेदन किया कि सादडी चक 1 के गत खसरा नम्बर 240 मी. रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा की जमीन का 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट के वारिसो का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। जो हिस्सा आज भी उनके पास है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने वादग्रस्त आराजी 11/24 वा हिस्सा खरीद किया है जो जमरूदीन, कासु खां, उमराव खां पुत्र जवाहर खां जाति कायमखानी साकिन सादडी द्वारा खरीद किया गया है। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड व सेटलमेट विभाग जोधपुर के रिकॉर्ड ओफिसर व तहसीलदार देसूरी एन. एल. आर 1519/6.5.1954 जरिये मिसल नम्बर 6/53–54 के अनुसार हुआ। तत्पश्चात प्रथम व द्वितीय सेटलमेंट हुआ एवं 1955 टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ। उसके पहले जमरूदीन वगैरा के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। व उसके बाद प्रतिवादी संख्या 01 से 08 होने वादग्रस्त आराजी 1/2 हिस्सा उनके कब्जा काश्त होने से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया व उसके अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 काबिज है अपीलाण्ट ने गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 रिकार्डड खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा खरीद किया गया है इस कारण से उनका नाम रेकर्ड में चला आ रहा है। अपीलाण्ट व उनके परिवार का वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के अलावा कब्जा काश्त नही था। गत खसरा नम्बर 240 रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 973 से 984 कुल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खसरा 12 कुल रकबा 6.13 हैक्टर बने थे। जिसमे से अपीलाण्ट के पुर्वजों के द्वारा एवं परिवार के सदस्य ने खसरा न. 984 के अलावा तमाम जमीन बेचान कर दी जो मौके पर अलग अलग काबिज है। खसरा संख्या 984 रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा खरीद के कारण, जमीन किमती होने से उक्त झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डड खातेदार है, कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट ने रिकोर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन तीनो ही रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है जो कि विधिसम्मत है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा सादड़ी चक–1 तहसील देसूरी पुराने खसरा नम्बर 240 मी. व नवीन खसरा नम्बर 984 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 का पेश कर वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा इस अपील में जिन बिन्दुओ को रेखाकिंत किया गया है वह वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा संख्या 240 मी. की भूमि का बापी पट्टा जोधपुर दरबार रियासत द्वारा 04.02.1942 को एकमात्र लालाजी को जारी किया जाना, वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम आदेश के जमरूदीन, कासु खां, उमराव खां पुत्र जवाहर खां का नाम दर्ज करने को बताया है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखाकिंत किए गए बिन्दुओं के परीक्षण हेतु हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा बापी गांव सादड़ी परगना देसूरी रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड़ तारीख 04.02.1942 के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि पट्टा नं. 183 में कॉलम संख्या 02 में ''रूपलो बेटो कलारो ने लालियो बेटो पना रो जातरा मेगवाल वासी गावरा'' कॉलम नम्बर 3 में खसरा नम्बर 240, कॉलम नं. 04 में रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा इन्द्राज है। इसी प्रकार खतोनी मौजा सादड़ी परगना देसूरी जोधपुर गवर्नमेन्ट सम्बत् 1999 के खसरा नम्बर 240 में 'रूपलो बेटो कला रो ने लालीयो बेटो पना रो जातरो भांबी वासी गावरो' दर्ज है।

इसी पट्टा संख्या 183 की अन्य प्रविष्टियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जरिये मिसल नम्बर 6/53, 54 एन. एल. आर 1519/07.04.1952 के अनुसार जमरूदीन, कासु खां, उमराव खां पुत्र जवाहर खां कौम कायम खानी सा 1/2 हिस्सा अमल दरामद किया गया। एवं लालियो के स्थान पर रामा, पैमा, दोला व जसीया पि0 लाला कौम भांबी सा. देह 1/2 दर्ज किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वादगस्त भूमि के 1/2 हिस्से में जमरूदीन, कासु खां, उमराव खां पुत्र जवाहर खां का नाम किस प्रकार आया है। हालांकि पट्टा संख्या 183 में यह इबारत अंकित है ''अखरे ईकीस रूपये छः आना'' लेकिन इससे यह स्पष्ट नही है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग अनुसार जमरूदीन, कासु खां, उमराव खां पुत्र जवाहर खां ने क्रय की हो क्योंकि मिसल संख्या 06 जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में अनुसार जमरूदीन, कासु

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खां, उमराव खां पुत्र जवाहर खां का नाम आया है, वह पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर हक हिस्से का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण पर दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, या वादग्रस्त आराजी के किसी विशेष भू–भाग पर निर्माण आदि करते है तो निश्चय ही अनावश्यक वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को ध्यान मे न रखते हुए जैर अपील आदेष पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 47 / 2018 बउनवान मनरूपराम बनाम कमला में पारित आदेश दिनांक 28.05.2019 को अपास्त किया जाता है। उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी पर मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली